Medical expenses reimbursement procedure for government servant शासकीय सेवक के लिए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रक्रिया

September 22, 2019 उपयोगी जानकारी

Medical expenses reimbursement procedure for government servant

शासकीय सेवक के लिए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रक्रिया

शासकीय सेवकों को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में एक प्रमुख सुविधा 'चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति ' होती है, Government Employee के बीमार होने पर स्वास्थ्य लाभ हेतु किये जाने वाले व्यय का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है, किन्तु जानकारी के आभाव में अनेक लोकसेवक इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं.

शासकीय सेवक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति (Government servant medical expenses reimbursement) हेतु सामान्यतः अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी MP Education Gyan Deep के मार्गदर्शक **Sri Deepak Halwe (Principal)** द्वारा दी जा रही है, श्री हलवे सर द्वारा बताया जा रहा है कि शासकीय सेवक के अस्वस्थ (बीमार) होने पर बिना अस्पताल में भर्ती हुए उपचार की स्थिति में तथा Hospital में भर्ती होने की स्थिति में Medical treatment पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति शासन से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है.

अस्पताल में भर्ती न होने की स्थिति मे चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति (Medical expenses reimbursement in case of non-hospitalization)

(क) ऐसे प्रकरणों में जिसमें पेशेंट को अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता है, तब क्या करना होता है -

1- पेशेंट को सरकारी अस्पताल (government hospital) में इलाज करवाने के लिए पहले सरकारी अस्पताल में जाकर अपने इलाज के लिए पर्ची कटवाना होती है अर्थात पेशेंट अस्पताल में पंजीबद्ध हो गया है। इसके बाद डॉक्टर से दवाइया लिखवाना होती है। यदि ये दवाइयां अस्पताल से मिल जाती है तो इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा और अस्पताल जो दवाइयां नहीं दे पता है तो उन दवाइयों को आप बाजार से खरीद सकते है। दवाइयां खरीदते वक्त आपको बिल लेना होगा।

2- अब आपको बाजार से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का फॉर्म (Medical expense reimbursement form) खरीदना होगा। उसकी पूर्ति करके बिल के साथ आपको फिर उसी चिकित्सालय में निर्धारित खिड़की पर जमा करवाना होगा। डॉक्टर क्रय की गई दवाईयों को बिल के आधार पर चेक करेगा और जो दवाइया शासन ने मान्य की है उसे स्वीकृत करेगा और जिसे शासन ने मान्य नहीं की है उसे अस्वीकृत कर आपको लौटाएगा।

3- इसके उपरांत आपको अपने फॉर्म और बिल को कवरिंग लेटर के साथ अपने आहरण वितरण अधिकारी (DDO) को देना होगा। आहरण वितरण अधिकारी फॉर्म के आधार पर बिल बनाएगा और जिले के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी से काउंटर साइन करवाकर कोषालय में भुगतान के लिए प्रस्तुत करेगा। इसके उपरांत कोषालय से आपके बैंक खातें में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।

अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति (Medical expenses reimbursement in case of hospitalization)

(ख) यदि पेशेंट (लोकसेवक अथवा परिजन) की तबियत में सुधार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो -

1- सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से प्रमाणपत्र लेकर की चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है , उस प्रमाणपत्र को अपने कवरिंग पत्र के साथ अपने कार्यरत कार्यालय को सूचित करना आवश्यक होता है। इस प्रमाणपत्र में डॉक्टर से लिखवाना होता है की बीमारी क्या है और इस पर कितना खर्च होना संभावित है। इस अनुमानित खर्च के आधार पर ही इलाज के लिए 80 प्रतिशत धनराशि अग्रिम स्वीकृत हो सकेगी अन्यथा नहीं।

यदि आप इलाज के उपरांत एक साथ खर्च की धनराशि चाहते है तो आपको इलाज के उपरांत फीस प्रतिपूर्ति का फॉर्म भर कर बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन कर अपने फॉर्म को आपके द्वारा पूर्व में जो अपने कार्यालय को अस्पताल में भर्ती होने की सूचना

दी गई थी उसके फोटो कॉपी के साथ कार्यालय प्रमुख / आहरण वितरण अधिकारी को व्यय पूर्ति के लिए आवेदन करना होगा।

आहरण वितरण अधिकारी बिंदु क्रमांक तीन के आधार पर कार्यवाही कर आपको व्यय की प्रतिपूर्ति करेंगे।

Treatment in private hospital

2- यदि चिकित्सा सुविधा शासकीय अस्पताल में संभव नहीं हो तो निम्नानुसार कार्यवाही कर इलाज करवाए -

शासकीय अस्पताल में जाकर चिट्ठी कटवाएं, अर्थात आप चिकित्सालय में पंजीबद्ध हो गए। इसके उपरांत डॉक्टर आपको लिखकर प्रमाणपत्र देगा कि पेशेंट का इलाज यहाँ पर या प्रदेश के किसी भी अस्पताल में संभव नहीं है तभी आप प्रायवेट अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करवाकर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करवा सकेंगे अन्यथा नहीं।

3- यदि पेशेंट आकस्मिक रूप से बीमार हुआ है तो आपको घटनोत्तर सूचना अविलम्ब अपने कार्यालय को देना होगी। इसके उपरांत आप उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर सकेंगे।

नोट - मैं जो भी जानकारी आपको आज तक देते आ रहा हूँ वो सब ईश्वर एवं अपने गुरुदेव की प्रेरणा अनुसार ही है। इच्छा सिर्फ एक है कि मेरे सहकर्मी मित्र को उसके जिंदगी के सफर में आसानी हो जाएँ। शुभकामनाओं के साथ।

आपका दीपक हलवे (प्राचार्य)

मोबाइल नम्बर – 9425352110

आशा है आदरणीय श्री दीपक हलवे सर द्वारा प्रस्तुत यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रहेगी, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो पोस्ट की लिंक Whatsapp, facebook आदि के माध्यम से अपने मित्रों को जरुर share कीजिए.

मध्यप्रदेश शासन के शासकीय कर्मचारियों को इलाज के लिए शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयों में उपचार की सुविधा होती है। कौन कौन से निजी चिकित्सालयों में कौन कौन सी बीमारियों के उपचार की सुविधा है, उपचार कराने से पूर्व अनुमति /यदि बीमारी अकस्मात हो तो उपचार उपरान्त किससे स्वीकृति लेनी होती है। उपचार राशि की अधिकतम सीमा कितनी होती है । यदि बीमारी गंभीर है और उसका इलाज प्रदेश के बाहर संभव हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, प्रदेश के बाहर इलाज की अनुमति कौन देने के लिए सक्षम है। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं । फाईल बड़ी होने से एजूकेशन पोर्टल पर न्यूज वाले कॉलम में दे नहीं पा रहा हूं । इसके लिए मैं आपको स्टेप बता रहा हूं । आप निम्नानुसार स्टेप करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते है।

1– सबसे पहले इंटरनेट पर गूगल खोले ।

2– गूगल में जाकर लिखे–www.health.mp.gov.in लिखकर क्लीक करें ।

3– अब जो पेज खुलेगा उसमें आपको विभागीय आदेश लिखा मिलेगा । उस पर जाकर क्लीक करें ।

4– अब एक नया पेज खुलेगा उस पर लिखा मिलेगा –

Medical facilities/Reimbursement इस पर जाकर क्लीक करे। आपको सभी जानकारियां मिल जायेगी ।

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक- 26 /08/ 2013.

:: आदेश ::

क्रमांक– एफ 9-9/13/17/मेडि.-3 :: राज्य के शासकीय अस्पतालों एवं राज्य के अन्दर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में शासकीय सेवक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को उपचार हेतु रैफर करने एवं उपचार की अनुमति देने के संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देश/पत्र क्रमांक 4/एम.आर./2002/1826, दिनांक 4.09.2002 व पत्र क्रमांक 4/एम.आर./2009/1541, दिनांक 29.05.2009 को अधिक्रमित करते हुए व्यवस्था के सरलीकरण/ विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से निम्न दिशानिर्देश प्रसारित किए जाते हैं :–

(क) शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु :–

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के नियम 4(1) में प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार का हकदार होगा। वर्तमान में राज्य में राज्य शासन द्वारा संचालित चिकित्सालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा भी चिकित्सालय यथा– एम्स, भोपाल व बी.एम.एच.आर.सी., भोपाल संचालित हैं ।

शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा राज्य में संचालित चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु रैफरल अथवा उपचार अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) राज्य के अन्दर शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु रैफरल व्यवस्था एवं उपचार अनुमति :–

1. राज्य के अन्दर शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में उपचार कराने के लिए रैफरल एवं उपचार अनुमति जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दी जाएगी। इस बोर्ड में सिविल सर्जन एवं मेडिसिन तथा सर्जरी विषय के विशेषज्ञ/स्नातकोत्तर चिकित्सक सम्मिलित होंगे । यह बोर्ड आश्यकतानुसार प्रकरण विषयक बीमारी से संबंधित विषय विशेषज्ञ/स्नातकोत्तर चिकित्सक को परामर्श हेतु आमंत्रित कर सकेगा । केवल उन्हीं जांच/उपचार की सुविधायें जो जिला चिकित्सालयों/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं हैं, के लिए बोर्ड द्वारा रैफरल किया जा सकेगा। रेफरल उपरांत उपचार अनुमति सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा जारी की जावेगी।

2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालयों में उपलब्ध जांच/उपचार की सुविधाओं की सूची उपलब्ध कराई जावेगी। उनके द्वारा यह सूची वेबसाईट पर भी अपलोड कराई जायेगी।

निरंतर..........

Milind

Septadeep.blogspot.com

3. शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य के अन्दर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय की अध्यक्षता में गठित रेफरल समिति द्वारा रेफर किये जाने की वर्तमान समानांतर व्यवस्था यथावत् रहेगी।

(ग) राज्य के अन्दर शासकीय एवं शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु अग्रिम स्वीकृति हेतु वर्तमान व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण एवं सरलीकरण :–

1. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/जी–3/2/94/सी/चार, दिनांक 8/12/1994 द्वारा उपचार हेतु अनुमानित चिकित्सा व्यय का 80 प्रतिशत अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है।
2. वर्तमान में अग्रिम की अनुशंसा राज्य स्तर से संचालक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा संबंधित विभाग को की जाती है। अब इस व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण कर वित्त विभाग के उक्त ज्ञाप द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत चिकित्सा अग्रिम की अनुशंसा करने के लिए इस आदेश की कंडिका (ख–1) में गठित जिला मेडिकल बोर्ड को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है । बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा राज्य शासन के निर्धारित पैकेज अथवा निजी चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत एस्टीमेट, जो भी कम हो, की 80 प्रतिशत सीमा तक चिकित्सा अग्रिम की अनुशंसा संबंधित जिले के कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख को की जा सकेगी।

(घ) शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य के अन्दर निजी चिकित्सा संस्थाओं में कराये गये उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कार्योत्तर स्वीकृति :–

1. म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ– 9–2/2006/17/मेडि–3, भोपाल दिनांक 20/2/2006 द्वारा उपचार शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य के अन्दर निजी चिकित्सा संस्थाओं में कराये गये उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कार्योत्तर स्वीकृति के अधिकार संभाग स्तर पर दिये गये हैं। यह व्यवस्था यथावत् रहेगी ।

उक्त व्यवस्था आदेश जारी करने की तिथि से प्रभावशील होगी।

(सूरज डामोर)
सचिव,
o/c मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक– एफ 9-9/13/17/मेडि-3 भोपाल, दिनांक –26/08/2013

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।

निरंतर.....

4. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
5. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
6. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
7. सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

---

1. संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालयों में उपलब्ध जांच/उपचार की सुविधाओं की सूची उपलब्ध कराई जावें एवं यह सूची वेबसाईट पर भी अपलोड की जावें।
2. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
3. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय म.प्र.।
4. समस्त जिलाध्यक्ष म.प्र.।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र. ।
7. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।
8. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2013

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Septadeep.blogspot.com

Gyandeepinfo.blogspot.com

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के जांच/उपचार हेतु मान्यता प्राप्त 84 निजी चिकित्सालयों की अपडेट सूची (फरवरी 2019)

क.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
1.	चिरायु मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, भैसाखेड़ी, बैरागढ़ भोपाल,	किडनी ट्रांसप्लान्ट एवं होमोडायलेसिस ,केसर रोग (47) हिप/नी, ऐल्बो,सोल्डर आंशिक रिप्लेसमेंट, मेमोग्राफी, एम.आर.आई., सिटी स्केन, हृदय रोग, हेड इन्जयूरी, न्यूरों सर्जरी, स्पाईनल सर्जरी	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2021 तक मान्यता।
2.	चिरायु हेल्थ मेडिकेयर प्रायवेट लिमिटेड पीरगेट भोपाल	हृदय रोग, टीएमटी, कलर डापलर	एफ 9–01/ 2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	31/12/2021 तक मान्यता।
3.	जवाहर लाल नेहरू केंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर ईदगाह भोपाल	(केंसर रोग–47 प्रकार)	एफ 9–1/2016/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 24/08/2016	2/07/2019 तक मान्यता।
4.	एल.बी.एस. अस्पताल मोतिया तालाब, भोपाल	हेड इन्जयूरी, हृदय रोग, ईसीजी, कलर डापलर, टीमटी हेतु **न्यूरों सर्जरी, स्पाईनल सर्जरी, Burns & post Burn Contractures -** 1- Upto 30% burns 1st dressing 2- Upto 30% burns Supsequent dressing 3- 30% to 50% burns 1st Dressing 4- 30% to 50% burns Supsequent dressing 5- Extensive burn - above 50% 1st dressing 6- Extensive burn - above 50% Supsequent Dressing	एफ 9–01/ 2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 02/02/2019	30/06/2019 तक मान्यता।

डॉ. सौरभ पुरोहित
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

क.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
5.	बंसल हास्पिटल शाहपुरा भोपाल	(1)केंसर रोग–47, (2)स्पाईनल सर्जरी, न्यूरों सर्जरी, हेड इंजरी, (3) टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट, (4) सिटी स्केन एम.आर. आई. मेमोग्राफी, (5) होमोडायलेसिस, (6) हृद्य रोग हेतु (7) In Vitro fertilisation (IVF) (प्रायमरी स्टरलिटी) बांझपन हेतु	एफ 9–02/ 2017/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 11/04/2017	**21/12/2019 तक मान्यता।**
		(8) Kidney Transplant	एफ 9–07/2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 18/06/2018	**31/12/2019**
6.	नर्मदा ट्रामा सेन्टर भोपाल	(स्पाईन सर्जरी, हेड इन्जरी, ब्रेन टयूमर, सिटी स्केन, होमोडायलेसिस) (हिप/नी रिप्लेसमेंट)	एफ 9–2/2017/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 11/04/2017	**21/12/2019 तक मान्यता।**
7.	सिद्धांता रेडकास सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल भोपाल	हृद्य रोग, केंसर रोग (47प्रकार) टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट **हेड इंजयूरी, न्यूरों सर्जरी, स्पाईनल सर्जरी, Burns & post Burn** Contractures - 7- Upto 30% burns 1st dressing 8- Upto 30% burns Supsequent dressing 9- 30% to 50% burns 1st Dressing 10- 30% to 50% burns Supsequent dressing 11- Extensive burn - above 50% 1st dressing 12. Extensive burn - above 50% Supsequent Dressing किडनी (रिनल) ट्रांसप्लान्ट, वेस्कुलर सर्जरी, सिटी स्केन	एफ 9–07/2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 18/06/2018 एफ 9–1/ 2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 04/01/2018	**30/06/2020 तक मान्यता वृद्धि।** **21/05/2020 तक नवीन मान्यता**

डॉ. सौरभ पुरोहित
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

septadeep.blogspot.com

क.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
8.	स्वामी विवेकानंद रीजनल स्पाइन सेंटर मैदा मिल, भोपाल	स्पाईनल सर्जरी, न्यूरों सर्जरी, हेड इंज्यूरी	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता।
9.	एल.एन. मेडिकल कालेज एण्ड जे.के. हॉस्पिटल कोलार रोड भोपाल	कार्डियोलॉजी एण्ड कार्डियोथोरोसिक सर्जरी, सिटी स्केन, हेड इन्जयरी, मेमोग्राफी, टीएमटी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, Chronic Renal Disease (Peritioneal Dialysis) Neurosurgery Spinal Surgery, Congenital malaformation	एफ 9–03/2018/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 11/04/2018 एफ 9–07/2018 /सत्रह/मेडि–3 दिनांक 18/06/2018	07/01/2021 तक मान्यता। 30/06/2021 तक मान्यता
10.	हजेला हास्पिटल, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	हिप/नी रिप्लेसमेंट कोकलियर इम्प्लान्ट	एफ 9–2/2017/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 11/04/2017	12/05/2019 तक मान्यता।
11.	दिव्य एडवांस ई.एन.टी. क्लीनिक ई–7 अरेरा कालोनी, भोपाल	कोकलियर इम्पप्लान्ट हेतु	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता।
12.	शल्य ज्वाईट केयर सेंटर भोपाल	टोटल हिप/नी, एल्बो, सोल्डर रिप्लेसमेंट	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता।
13.	ओम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर सी/39 पद्मनाभ नगर रायसेन रोड़ भोपाल	टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, स्पाईनल सर्जरी, हेड इन्जूरी	एफ 9–09/ 2018/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 30/06/2018	30/06/2019 तक मान्यता।
14.	सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट बैरागढ़ भोपाल	नेत्र रोग– बीटा स्केन सोनोग्राफी, फेको एमुलसिफिकेशन	एफ 9–2/2017/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 11/04/2017	09/11/2019 तक मान्यता।
15.	नेशनल हास्पिटल, भोपाल	टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, स्पाईनल सर्जरी, हेड इन्जूयरी, Permanent pacemaker, Hemodaylisis	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 02/02/2019	31/12/2021 तक मान्यता
16.	प्रकाश आई केयर एण्ड लेजर सेंटर एम.पी. नगर भोपाल	नेत्र रोग (1- Perimetry 2- Indian IoL phaco (Non foldable) 3- Phaco Emulicification orolab lence	एफ 9–01/ 2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता

डॉ. सौरभ पुरोहित
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

क्र.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
17.	केरियर इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस केरियर कालेज केम्पस, गोविंदपुरा भोपाल	न्यूरों सर्जरी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, सिटी स्केन हेड, टीएमटी	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता
18.	नवोदय केंसर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल	केंसर रोग (47 प्रकार)	एफ 9–01/ 2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता
19.	सर्वोत्तम हास्पिटल गुफा मंदिर रोड़ भोपाल	स्पाईनल सर्जरी, न्यूरों सर्जरी, हेड इन्जयूरी	एफ 9–09/ 2018/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 30/06/2018	30/06/2019 तक मान्यता
20	भोपाल केयर हास्पिटल, मोतिया तालाब, ताजुल मस्जिद भोपाल	स्पाईनल सर्जरी, हेड इन्जयूरी	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता
21	सेन्ट्रल हास्पिटल भोपाल	स्पाईनल सर्जरी	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता
22	गैलेक्सी हॉस्पिटल भोपाल	स्पाईनल सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, शोल्डर ज्वाईंट रिप्लेसमेंट	एफ 9–07/2018/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 18/06/2018	31/12/2020 तक मान्यता
23	पालीवाल हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी भोपाल	हृद्य रोग (कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरोसिक सर्जरी), न्यूरों सर्जरी, स्पाईनल सर्जरी, टोटल हिप एवं नी रिप्लेसमेंट, हेड इन्जयूरी **Burns & post Burn Contractures -** 1- Upto 30% burns 1st dressing 2- Upto 30% burns Supsequent dressing 3- 30% to 50% burns 1st Dressing 4- 30% to 50% burns Supsequent dressing 5- Extensive burn - above 50% 1st dressing 6. Extensive burn - above 50% Supsequent Dressing **Vascular Surgery** केंसर रोग (45 प्रकार)	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	31/12/2019 तक मान्यता

डॉ. सौरभ पुरोहित
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

क.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
24	लेक सिटी हास्पिटल भोपाल	(A) Burns & post Burn Contractures - 1- Upto 30% burns 1st dressing 2- Upto 30% burns Supsequent dressing 3- 30% to 50% burns 1st Dressing 4- 30% to 50% burns Supsequent dressing 5- Extensive burn - above 50% 1st dressing 6. Extensive burn - above 50% Supsequent Dressing **(B) Congenital Malaformation** **(C) कैंसर रोग (45 प्रकार)**	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	**30/06/2019 तक मान्यता**
25	मिरेकल्स हास्पिटल, जेड–17ए, एम.पी. नगर जोन–1 नियर विशाल मेगा मार्ट भोपाल	(1) Head Injury (2) Cardiology Angiography , Coronary Angioplasty without stent , Coronary angioplasty with one stent (Drug eluting) , For second Stent , Electrophysiological Study , Acute myocardial infarction	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	**30/06/2019 तक मान्यता**
26	पीपुल्स अस्पताल भानपुर भोपाल	(1) Head Injury (2) Neuro surgery, (3) Total Hip and Knee Replacement, (4) Spinal Surgery, (5) Paediatric Surgery (congenital malaformation (6) Burns & post Burn Contractures - 1- Upto 30% burns 1st dressing 2- Upto 30% burns Supsequent dressing 3- 30% to 50% burns 1st Dressing	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 02/02/2019	**31/12/2019 तक मान्यता**

डॉ. सौरभ पुरोहित
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

		4- 30% to 50% burns Supsequent dressing 5- Extensive burn - above 50% 1st dressing 6. Extensive burn - above 50% Supsequent Dressing **(7) 2D Echo , (8) CT Scan** **(9) Obsterics and G naecology (10) Total Elbow Total Shoulder joint Replacment , TMT, MRI**	एफ 9–07/2018 /सत्रह/मेडि–3 दिनांक 18/06/2018	**31/12/2019 तक मान्यता**
27	पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल, रोशनपुरा भोपाल	**Hemo Dialysis**	एफ 9–08/2018 /सत्रह/मेडि–3 दिनांक 22/06/2018	**31/12/2019 तक मान्यता**
क.	**चिकित्सालय का नाम**	**जांच/उपचार का नाम**	**शासन आदेश**	मान्यता की अवधि
28	बालाजी फेक्चर हॉस्पिटल भोपाल	**Total Hip Replacement , Total knee Replacement**	एफ 9–08/2018 /सत्रह/मेडि–3 दिनांक 22/06/2018	**30/06/2020 तक मान्यता**
29	तृप्ती हॉस्पिटल मल्टी–स्पेशलिटी एण्ड ट्रामा सेंटर, लालघाटी चौराहा भोपाल	Spinal Surgery, obstetrics and Gynecology and Congenital malaformation	एफ 9–08/2018 /सत्रह/मेडि–3 दिनांक 22/06/2018	**30/06/2020 तक मान्यता**
30	नोबल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मिसरोद भोपाल	हृदय रोग, टीएमटी, हिप एवं नी रिप्लेसमेंट, स्पाईनल सर्जरी, न्यूरों सर्जरी	एफ 9–09/2018/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 30/06/2018	**30/06/2021 तक मान्यता**
31	ग्रेस्ट्रो केयर लिवर एवं पाचन रोग निदान केन्द्र हास्पिटल भोपाल	**Gastroenteroloy**	एफ 9–07/2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 18/06/2018	**30/06/2020 तक मान्यता**
32	राजदीप हास्पिटल नियर पेट्रोल पम्प, मेन रोड़ बैरागढ़ भोपाल	स्पाईनल सर्जरी General Surgery	एफ 9–01/2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 31/01/2019 एफ 9–11/2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 23/08/2018	30/06/2019 तक मान्यता
33	नवजीवन हॉस्पिटल, एच.आई.जी.– 652 अरविंद विहार, बागमुंगालिया भोपाल	**Spinal Surgery, OBstetrics and Gynedcology and General Surgery**	एफ 9–10/2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 16/08/2018	**31/12/2019 तक मान्यता**

डॉ. सौरभ पुरोहित
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

क.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
34	सहारा फ्रेक्चर एवं जनरल हॉस्पिटल, प्लाट नं. 115, सेक्टर –बी, विद्या नगर होशंगाबाद रोड भोपाल	**Spinal Surgery, Total Hip Relacement , Total Knee Replacement and General Surgery**	एफ 9–10/2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 16/08/2018	**30/06/2020 तक मान्यता**
35	केयरवेल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुफा मंदिर रोड़, लालघाटी भोपाल	**Spinal Surgery, OBstetrics and Gynedcology, Total Hip Relacement , Total Knee Replacement and General Surgery**	एफ 9–10/2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 16/08/2018	**30/06/2020 तक मान्यता**
36	एशियन ग्लोबस लीवर एवं गेस्ट्रोलॉजी सेंटर, ई–5/24 नियर बिट्टन मार्केट अरेरा कालोनी भोपाल	**Gastroenterology**	एफ 9–10/2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 16/08/2018	**31/12/2019 तक मान्यता**
37	रेनबो चिन्ड्रन हास्पिटल सहकार भवन, न्यू मार्केट भोपाल	**Congenital Malaformation**	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	**31/12/2020 तक मान्यता**
38	भोपाल टेस्ट टयूब बेबी सेन्टर, भोपाल	In Vitro fertilisation (IVF) निःसंतान दंपतियों हेतु	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 02/02/2019	**30/06/2020 तक मान्यता**
39	नर्मदा अपना अस्पताल होशंगाबाद	टोटल हिप/नी रिपलेसमेंट, स्पाईनल सर्जरी, डायलेसिस	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	**30/06/2019 तक मान्यता**
40	न्यू पांडेय हॉस्पिटल, शनिचरा होशंगाबाद	स्पाईनल सर्जरी, न्यूरों सर्जरी, हेड इंजूरी, सिटी स्केन हेड, सिटी स्केन अदर बाडी पार्ट, अन्य सिटी स्केन, मेमोग्राफी, **IN Vitro Fertilisation (IVF) बांझपन**	एफ 9–01/2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	**30/06/2019 तक मान्यता**
41	कमलाबाई प्रेमनारायण मालवी हॉस्पिटल, सिविल लाईन, आईटीआई रोड़, वार्ड नं. 17 होशंगाबाद	**OBstetrics and Gynedcology and General Surgery**	एफ 9–10/2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 16/08/2018	**31/12/2019 तक मान्यता**

डॉ. सौरभ पुरोहित
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

क.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
42	सीएचएल हास्पिटल ए. बी. रोड़ .आई.जी. चौराहा इंदौर	टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट, टोटल ऐल्बो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, टोटल शोल्डर ज्वाइंट, आंशिक हिप रिप्लेसमेंट, हृद्य रोग, किडनी ट्रांसप्लान्ट एवं होमोडायलेसिस	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता।
	कन्वीनियन्ट हास्पिटल (सी.एच.एल. हास्पिटल) इन्दौर	**केंसर रोग सर्जरी– 47 प्रकार**		
43	ग्रेटर कैलाश हास्पिटल ओल्ड पलासिया इंदौर	स्पाईनल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी हृद्य रोग, टीएमटी, इको कलर डापलर हेतु किडनी ट्रांसप्लान्ट **In Vitro fertilisation (IVF)**	एफ 9–1/2016/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 13/05/2016	06/11/2018 तक मान्यता।
44.	सिनर्जी हास्पिटल स्कीम नं. 74 सेक्टर बी, विजयनगर इंदौर	हृद्य रोग, टीएमटी, इको कलर डापलर	एफ 9–01/2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	31/12/2020 तक मान्यता
45.	टी. चौइथराम हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर कंचनबाग इन्दौर	Cardio Thoracic Surgery, Cardiology, Nephrology includingDialysis Transplant services (Renal), 2D Echo, Colour Doppler, CT Scanning	एफ 9–2/ 2017/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 06/06/2017	11/03/2020 तक मान्यता।
		केंसर रोग (45 प्रकार)	एफ 9–03/2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 07/03/2018	10/03/2020 तक मान्यता।
		Radiation Therapy on primus linear Acclerator unit from simens and Brachytherapy	एफ 9–07/2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 18/06/2018	30/06/2020 तक मान्यता।

डॉ. सौरभ पुरोहित
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

क.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
46	बाम्बे हास्पिटल रिंग रोड़, इंदौर	किडनी ट्रांसप्लांट, कार्डियेक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, हृद्य रोग, सिटी स्केन हेड, सिटी स्केन अदर बॉडी पार्टस, एमआरआई, टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, स्पाईन सर्जरी	एफ 9–2/ 2017/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 06/06/2017	20/01/2020 तक मान्यता।
47	अपोलो राजश्री हास्पिटल इन्दौर।	हृद्य रोग, टीएमटी, इकोकलर डापलर, ईसीजी **किडनी (रिनल) ट्रांसप्लान्ट, न्यूरों सर्जरी, स्पाईन सर्जरी,**	एफ 9–01/2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता
48	भंडारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, मेघदूत गार्डन, इन्दौर	हृद्य रोग, नेत्र रोग, हेड इन्जयूरी, हिप/नी रिप्लेसमेंट, सिटी स्केन, टीएमटी, केंसर रोग (47 प्रकार), Invitro Fertiliazation (IVF) निःसंतान दंपतियों हेतु	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	31/12/2021 तक मान्यता
49	मेदांता हास्पिटल विजयनगर इंदौर	(हृद्य रोग, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट, न्यूरो सर्जरी, हेड इन्जयूरी, टीएमटी एवं ईसीजी)	एफ 9–1/2017/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 07/02/2017	09/11/2019 तक मान्यता।
50	रोहित आई हॉस्पिटल एवं चाईल्ड केयर सेंटर, एल.आई.जी. चौराहा, इंदौर	1. Perimeitry 2- A - Scan 3- B - Scan 4- Indian IoL SICS (nonfoldable) 5- Ptosis Surgery 6- phaco amulicification orolance	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	31/12/2020 तक मान्यता
51	शैल्बी हास्पिटल, प्लाट नं. 5–6 आर.एस भंडारी मार्ग जंजीर वाला चौरहे के पास, इन्दौर	हृद्य रोग (कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरोसिक सर्जरी), न्यूरों सर्जरी, स्पाईनल सर्जरी, गेस्ट्रोइन्ट्रोलाजी, सिटी स्केन अदर बॉडी पार्टस, मेमोग्राफी, एमआरआई, टीएमटी, 2डी इको	एफ 9–01/ 2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	31/12/2020 तक मान्यता

डॉ. सोम्य पुरोहित
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

क.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
52	अरिहंत हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, 283–ए, गुमास्ता नगर इंदौर	न्यूरों सर्जरी, स्पाईनल सर्जरी, सिटी स्केन, इको कलर डापलर टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट, पारसियल हिप रिप्लेसमेंट एवं टोटल शोल्डर ज्वाईंट रिप्लेसमेंट	एफ 9–01/ 2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019 एफ 9–07/ 2018/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 18/06/2018	31/12/2019 तक मान्यता 30/06/2019
53	बारोड हॉस्पिटल एच 28, 59 एम.आर. इन्दौर	हेड इन्जयूरी, न्यूरों सर्जरी, टोटल हिप एवं नी रिप्लेसमेंट, स्पाईनल सर्जरी, **Congenital Malaformation ,** **Burns & post Burn Contractures -** 1- Upto 30% burns 1st dressing 2- Upto 30% burns Supsequent dressing 3- 30% to 50% burns 1st Dressing 4- 30% to 50% burns Supsequent dressing 5- Extensive burn - above 50% 1st dressing 6. Extensive burn - above 50% Supsequent Dressing	एफ 9–01/2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता
54.	जबलपुर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जबलपुर	हृदय रोग, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट, होमोडायलिसिस	एफ 9–01/ 2017/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 07/02/2017	06/09/2019 तक मान्यता
55.	एस.एम. जे. ट्रस्ट शैल्बी हॉस्पिटल अहिंसा चौक कचनार सिटी रोड विजयनगर जबलपुर	न्यूरो सर्जरी, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट हृदय रोग, स्पाईनल सर्जरी, हेड इन्जयरी	एफ 9–3/ 2017/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 24/06/2017	21/12/2019 तक मान्यता
56.	स्वास्तिक मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर दीनदयाल चौराहा आई.टी.आई. रोड जबलपुर	न्यूरों सर्जरी, स्पाईनल सर्जरी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट एवं टोटल नी रिप्लेसमेंट **Burns & post Burn Contractures -** 1- Upto 30% burns 1st dressing 2- Upto 30% burns Supsequent dressing 3- 30% to 50% burns 1st	एफ 9–01/2019/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता

डॉ. सौरभ पुरोहित
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

		Dressing 4- 30% to 50% burns Supsequent dressing 5- Extensive burn - above 50% 1st dressing 6. Extensive burn - above 50% Supsequent Dressing **Cardiology** (1) Angiography , (2) Coronary Angioplasty without stent **Vascular Surgery**		
क.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
57.	चित्रकूट नेत्र चिकित्सालय एण्ड लेजर आई सर्जरी सेन्टर जबलपुर	नेत्र रोग ((1) Squint surgery, (2) ptosis surgery)	एफ 9–01/2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता
58.	नेशनल हॉस्पिटल 703 गोलबाजार जबलपुर	1) Angiography , (2) Coronary Angioplasty without stent (3) Coronary angioplasty with one stent (Drug eluting) (4) For second Stent (5) Electrophysiological Study (6) Acute myocardial infarction (7) Neuro Surgery (8) Head injury (a) Acute SDH (b) EDH (C) Malignant Tumor (D) Benign Tumor (E) RFLG For Trigeminal	एफ 9–09/ 2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 30/06/2018	30/06/2019 तक मान्यता
59.	संजीवन अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	न्यूरो सर्जरी, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट	एफ 9–01/ 2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता
60.	अनंत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राइट टाउन जबलपुर	स्पाईनल सर्जरी न्यूरो सर्जरी, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट	एफ 9–01/ 2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता

डॉ. सौरभ पुरोहित
उप संचालक
संचालानलय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

क.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
61.	सिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागरथ चौक, सिविल लाईन जबलपुर	हृद्य रोग केंसर रोग हेतु (47), टोटल हिप रिप्लसेमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट, टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट, partial hip रिप्लेंसमेंट, न्यूरो सर्जरी, डायलेसिस, स्पाईन सर्जरी **Burns -** 1- Upto 30% burns 1st dressing 2- Upto 30% burns Supsequent dressing 3- 30% to 50% burns 1st Dressing 4- 30% to 50% burns Supsequent dressing 5- Extensive burn - above 50% 1st dressing 6. Extensive burn - above 50% Supsequent Dressing **Kidney (Renal) Transplant**	एफ 9–9/ 2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 30/06/2018 एफ 9–07/2018/सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 18/06/2018	**30/06/2021 तक मान्यता** दिनांक **30/06/2021 तक** मान्यता
62.	सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास रिसर्च सेंटर, दीक्षितपुरा जबलपुर	हेड इन्जयरी, न्यूरो सर्जरी, स्पाईनल सर्जरी, टोटल हिप/नी रिप्लेंसमेंट, टोटल एल्बों रिप्लेसमेंट, टोटल शोल्डर ज्वाईंट रिप्लेसमेंट, एवं आंशिक हिप रिप्लेसमेंट, कलर डापलर, ईसीजी, टीमएटी,	एफ 9–01/2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 02/02/2019	**30/06/2019 तक** मान्यता

डॉ. सौरभ पुरोहित
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

क.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
63.	आशीष हास्पिटल, नेपियर टाउन, जबलपुर	हिप/नी/पारसीयल रिपलेसमेंट, केंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, हृद्य रोग, टीएमटी, इकोग्राफी	एफ 9–01/2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता
64.	इन्फीनिटी हार्ट इंस्टीयूट नेपियर टाउन जबलपुर	हृद्य रोग,ईसीजी टीएमटी	एफ 9–01/ 2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 02/02/2019	30/06/2020 तक मान्यता
65.	आदित्य सुपर स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर, नेपियर टाउन जबलपुर	न्यूरो सर्जरी, स्पाईनल सर्जरी, हेड इन्जयूरी, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट,	एफ 9–01/2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	31/12/2021 तक मान्यता
66.	जामदार हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड गोल बाजार जबलपुर	टोटल हिप, नी रिप्लेसमेंट, ज्वाईंट रिप्लेसमेंट– ए शोल्डर, ज्वाईंट रिप्लेसमेंट– बी– एल्बो रिप्लेसमेंट	एफ 9–01/2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	30/06/2019 तक मान्यता
67	लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल नागपुर रोड़, मदन महल जबलपुर	**Burns & post Burn Contractures -** 1- Upto 30% burns 1st dressing 2- Upto 30% burns Supsequent dressing 3- 30% to 50% burns 1st Dressing 4- 30% to 50% burns Supsequent dressing 5- Extensive burn - above 50% 1st dressing 6. Extensive burn - above 50% Supsequent Dressing न्यूरो सर्जरी, स्पाईनल सर्जरी,	एफ 9–01/ 2019/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 31/01/2019	31/12/2019 तक मान्यता

डॉ. सौरभ पुरोहित
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.

क्र.	चिकित्सालय का नाम	जांच / उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
68	बाम्बे हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, गोल बाजार जबलपुर	**Burns & post Burn Contractures -** 1- Upto 30% burns 1st dressing 2- Upto 30% burns Supsequent dressing 3- 30% to 50% burns 1st Dressing 4- 30% to 50% burns Supsequent dressing 5- Extensive burn - above 50% 1st dressing 6. Extensive burn - above 50% Supsequent Dressing स्पाईनल सर्जरी, टोटल हिप एवं नी रिप्लेसमेंट, न्यूरों सर्जरी,	एफ 9–01 / 2019 / सत्रह / मेडि–3 दिनांक 31 / 01 / 2019	30 / 06 / 2019 तक मान्यता
69.	मेट्रो हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर दमोह नाका जबलपुर	हृदय रोग, केंसर रोग, न्यूरो सर्जरी, हिप एवं नी रिप्लेसमेंट	एफ 9–01 / 2019 / सत्रह / मेडि–3 दिनांक 31 / 01 / 2019	30 / 06 / 2021 तक मान्यता
70	जन ज्योति सुपरस्पेशलिटी आई हास्पिटल जबलपुर	1-Perimeitry 2- A - Scan 3- B - Scan 4- Indian IoL Phaco (nonfoldable) 5- Squint Surgery 6- Ptosis Surgery 7- phaco amulicification orolance	एफ 9–04 / 2018 / सत्रह / मेडि–3 दिनांक 14 / 05 / 2018	05 / 08 / 2020 तक मान्यता
71	बेस्ट सुपरस्पेशलिटी हास्पिटल जबलपुर	न्यूरों सर्जरी, स्पाईनल सर्जरी, टोटल हिप एण्ड नी रिप्लेसमेंट एवं Obsteterice and Gynaecology	एफ 9–01 / 2019 / सत्रह / मेडि–3 दिनांक 31 / 01 / 2019	31 / 12 / 2019 तक मान्यता
72	मोहनलाल हरगोविददास पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल राईट टाउन जबलपुर	Neurosurgery, Spine Surgery, Burn and post burn Contractures	एफ 9–08 / 2018 / सत्रह / मेडि–3 दिनांक 22 / 06 / 2018	31 / 12 / 2019 तक मान्यता
73	छवि आई हॉस्पिटल, 2567 राईट टाउन जबलपुर	**A-Scan , B-Sacn, Indian LoL SICS (Nonfoldable), Squint Surgery, Phaco Amulicification Orolance**	एफ 9–10 / 2018 / सत्रह / मेडि–3 दिनांक 16 / 08 / 2018	30 / 06 / 2021 तक मान्यता

डॉ. सौरभ पुरोहित
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

क.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
74	मार्बल सिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, जबलपुर	**Neurosurgery, Head Injury, Total Hip Replacement and Total Knee Replacement and Pediatrics (Congenital Malformation)**	एफ 9—10/2018/ सत्रह/मेडि—3 दिनांक 16/08/2018	**30/06/2020 तक मान्यता**
75	दुबे सर्जिकल एंड डेंटल हॉस्पिटल, घमापुर जबलपुर	**General Surgery**	एफ 9—10/2018/ सत्रह/मेडि—3 दिनांक 16/08/2018	**30/06/2021 तक मान्यता**
76	पाण्डे अस्पताल प्रा.लि. 499 ब्यौरबाग, जबलपुर	**Spinal Surgery, Head Injury and Neuro Surgery**	एफ 9—10/2018/ सत्रह/मेडि—3 दिनांक 16/08/2018	**30/06/2020 तक मान्यता**
77	सागरश्री हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट प्रा.लि. सागर	1-Cardiology , 2-Neurosurgery, 3-Obstetrics and Gynecology, 4- Spine Surgery, 5- EYE 6-Burn and post burn Contractures, 7- 2D Echo, TMT, Ct scaning head, EEG	एफ 9—08/2018/ सत्रह/मेडि—3 दिनांक 22/06/2018	**30/06/2020 तक मान्यता**
78	एम0पी0 बिरला हॉस्पिटल एण्ड प्रियम्बदा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट सतना	केंसर रोग—47, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट, कलर डापलर,, इकोकार्डियोग्राफी, डायलिसिस, सिटी स्केन,	एफ 9—2/ 2018/ सत्रह/ मेडि—3 दिनांक 04/01/2018	**31/12/2019 तक मान्यता**
79	ग्लोबल स्पेशिलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर	हृद्‌य रोग, इको कलर डापलर, होमोडायलेसिस, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिपलेसमेंट, टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट, टोटल शोल्डर ज्वाईंट रिप्लेसमेंट, partial हिप रिप्लेसमेंट	एफ 9—01/ 2019/ सत्रह/मेडि—3 दिनांक 02/02/2019	**30/06/2019 तक मान्यता।**
80	कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर	केंसर रोग (47 प्रकार)	एफ 9—01/2019/ सत्रह/ मेडि—3 दिनांक 31/01/2019	**30/06/2019 तक मान्यता**
81	रतन ज्योति नेत्रालय एण्ड रिसर्च सेंटर, ग्वालियर	**1-**Perimeitry **2-** A- Scan **3- B-** Scan **4-** Indian loL Phaco (Nonfoldable) **5-** Phaco Amulicification Orolance	एफ 9—8/2018/ सत्रह/मेडि—3 दिनांक 22/06/2018	**30/06/2020 तक मान्यता।**

डॉ. सौरभ पुरोहित
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

क्र.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	शासन आदेश	मान्यता की अवधि
82	अमृता हॉस्पिटल पिपरिया, रीवा रोड़, शहाडोल	Haematology ,Biochemistry ,Serology, Coagulation studies , Cardiac marker, Analysis, Head injury Obstetrics And Gynecology	एफ 9–9/ 2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 30/06/2018 एफ 9–07/2018/सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 18/06/2018	30/06/2019 तक मान्यता 30/06/2019 तक मान्यता
83	मिश्रा नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक फाउण्डेशन जिला सीधी	**In Vitro Fertilisation (IVF) and Obstetrics and Gynecolgy**	एफ 9–10/2018/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 16/08/2018	30/06/2020 तक मान्यता
84	विन्ध्य हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, रीवा	Angiography, ASD Closure, VSD closure, PDA devices Closure, 2 D Echo, ECG, TMT, Neuro Surgery, Spine Surgery, Head Injury General Surgery, Obstetrics and Gynecology	एफ 9–09/2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 30/06/2018 एफ 9–11/2018/ सत्रह/ मेडि–3 दिनांक 23/08/2018	30/06/2019 तक मान्यता

(डॉ. सौरभ पुरोहित)
उपसंचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

Gyandeepinfo.blogspot.com

शासकीय कर्मचारियों के उपचार की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी निम्नानुसार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग]

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या शासकीय कर्मचारी शासकीय अस्पताल में निशुल्क उपचार का हकदार है ?	हॉ (म.प्र. सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम 4 (1) में प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी शासकीय चिकित्सालय में निशुल्क उपचार का हकदार होगा। यथा– 1. प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय 2. प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज 3. प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल , बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र कमांक एफ 9–9 / 2013 / 17 / मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26 / 08 / 2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।
2.	राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय की सूची क्या विभाग की वेबसाईट पर अपलोड है ?	हॉ (वर्तमान में 28 निजी संस्थाओं को मान्यता है। सूची विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है)
3.	राज्य के अंदर शासकीय चिकित्सालय में शासकीय सेवक एवं उनके सदस्यों के उपचार हेतु रैफरल की आवश्यकता होगी	नहीं (राज्य में संचालित शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु रैफरल की आवश्यकता नहीं होगी) यथा– 1. प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय 2. प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज 3. प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल., बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र कमांक एफ 9–9 / 2013 / 17 / मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26 / 08 / 2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।

TO PhaMbi as advised

website पर डालें

27/5/14

उप संचालक (एच.आर.)

Scanned by CamScanner

4.	राज्य के अंदर शासकीय चिकित्सालय में शासकीय सेवक एवं उनके सदस्यों के उपचार हेतु अनुमति की आवश्यकता होगी	नहीं (राज्य में संचालित शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी) यथा– 1. प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय 2. प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज 3. प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल, बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र कमांक एफ 9–9/2013/17/मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26/08/2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।
5.	निजी चिकित्सालयों में रेफरल की प्रकिया क्या है ?	निजी चिकित्सालयों में रेफरल की प्रकिया राज्य के अंदर शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने के लिये रैफरल हेतु जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा रेफरल किया जायेगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा केवल उन्हीं जांच/उपचार की सुविधायें हेतु रेफरल किया जायेगा जो जिला चिकित्सालय/शासकीय चिकित्सा महाविघालय में उपलब्ध नहीं होगी।
6.	फालोअप उपचार अनुमति किसके द्वारा प्रदान की जाती एवं कितने समय के लिये प्रदान की जाती है।	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को फालोअप उपचार अनुमति सिविल सर्जन सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा 6 माह के लिये प्रदान की जाती है।
7.	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा अग्रिम की वर्तमान व्यवस्था क्या है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु शासकीय चिकित्सालयों में उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को अधिकार दिये गये है। (परिपत्र कमांक एफ 9–9/2013/17/मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26/08/2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।

Scanned by CamScanner

8.	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयो में उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम/अनुमति/फालोअप अनुमति वर्तमान व्यवस्था क्या है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों मे उपचार हेतु जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को अधिकार दिये गये है। मेडिकल बोर्ड द्वारा केवल उन्ही जांच/उपचार की सुविधायें हेतु निजी चिकित्सालय में रैफरल किया जायेगा जो शासकीय जिला चिकित्सालय/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मे जांच/उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। (परिपत्र कमांक एफ 9–9/2013/17/मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26/08/2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करें।
9.	निजी चिकित्सालयों (द्वारा शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों) की मान्यता की प्रकिया	निजी चिकित्सालयों को शासकीय मान्यता हेतु आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करना होता है। आवेदन फार्म http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। उन्हीं निजी चिकित्सालयों को मान्यता दी जायेंगी जिन्हें National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH) द्वारा अधि मान्यता दी गई हो। निजी चिकित्सालयों को मान्यता हेतु NABH को एक वर्ष में प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा।
10.	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के आकस्मिक उपचार हेतु क्या व्यवस्था है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को आकस्मिक स्थिति में उपचार के लिये मान्यता प्राप्त संस्थाओ एवं गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं में उपचार करा सकते है। इस हेतु उपचार उपरांत उन्हें कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी इस विषय में म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग परिपत्र कमांक एफ 9–2/2006/17/मेडि.–3 भोपाल दिनांक 20/02/2006 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों को राज्य के अंदर गठित प्राईवेट निजी चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संभागीय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है जो निजी संस्थाओं में उपचार उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते है। (परिपत्र कमांक 9–2/2006/17/मेडि.–3 भोपाल दिनांक 20/02/2006) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है।

उप संचालक (एम.आर.)
कृते संचालक चिकित्सा सेवायें
इन्दौर

Scanned by CamScanner

अध्याय 29

चिकित्सा क्षतिपूर्ति नियम
(Medical Re-imbursement Rules)

शासन द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नियम बनाए गए हैं। ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 8 जून, 1973 भाग-4 (ए) में प्रकाशित किए गए हैं।

चिकित्सा देयकों का समय सीमा में निराकरण करने हेतु म.प्र. शासन वि.वि. क्र. एफ 4/2015/नि./चार दिनांक 27 अप्रैल 2015 द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं।

(1) पात्रता-

(1) राज्य शासन के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय सेवक जब वे मध्यप्रदेश के भीतर कर्त्तव्य पर हों, प्रतिनियुक्ति पर हों, छुट्टी पर हों या निलंबनाधीन हों, निः शुल्क उपचार के पात्र होंगे।

(2) संविदा के आधार पर नियोजित शासकीय कर्मचारी।

(3) प्रशिक्षणाधीन या कर्त्तव्यस्थ नगर सैनिक।

(4) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले पूर्णकालिका कर्मचारी।

(5) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं में मासिक वेतन पर नियोजित कार्यभारित स्थापना के सदस्य (नियम 1 (2))।

(2) चिकित्सा हेतु परिवार में कौन-कौन सम्मिलित हैं-

(1) शासकीय कर्मचारी की पत्नी या उसका पति।

(2) शासकीय कर्मचारी के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित, माता-पिता, धर्मज संतान, जिसमें विधिक रूप से गोद ली गई संतान तथा सौतेली संतान सम्मिलित हैं। (नियम-2 (घ)

(3) विधिवत तलाकशुदा पुत्री यदि शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो।
(म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य विभाग क्र. 5549/4214/XVII/Med. III दिनांक 25-8-64)

टीप- शासकीय सेवक पर आश्रित उसके परिवार के सदस्य यदि शिक्षा, इलाज या अन्य सुविधा की दृष्टि से शासकीय सेवक के मुख्यालय पर न रहकर अलग निवास करते हों तो भी उसे चिकित्सकीय व्यय पर हुए खर्चे की प्रतिपूर्ति की जावेगी।
(म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य विभाग क्र. 2273/1697/XVII/Med. III दिनांक 5-5-60)

(4) विवाहित महिला कर्मचारियों के मामले में उसके माता-पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, बशर्ते महिला कर्मचारी इस बाबत घोषणा पत्र दे।
(म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्र. एफ 2/60/1980/XVII/Med. 3, दिनांक 23-2-1981)
परंतु जहाँ किसी कर्मचारी के तीन या अधिक बच्चे जीवित रहते हुए कोई अन्य

Scanned by CamScanner

एक में अनेक

बच्चा पैदा हो तो वहाँ इस प्रकार पैदा हुए अतिरिक्त बच्चा इन नियमों के अधीन रियायतें पाने का हकदार नहीं होगा।

(उक्त परन्तुक म. प्र. शासन लोक स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4626/1037/XVII/Med. III, दिनांक 27-9-1969) द्वारा जोड़ा गया जो एक वर्ष पश्चात् अर्थात् दिनांक 27-9-1970 से लागू हुआ है।)

परन्तु यदि तीसरी प्रसूति में जुड़वां पैदा होता है तो उसे चिकित्सा सुविधा पाने की पात्रता होगी।

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्र. 128/2764/17 में-4, दिनांक 24-1-1992)

पूर्णतः आश्रित के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण- म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 के नियम 2 में खण्ड (घ) उपखण्ड (दो) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाय''

स्पष्टीकरण- पूर्णतः स्रोतों से कुल वार्षिक आय शासन द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए यथा विनिश्चित आय सीमा के भीतर हो (म.प्र. शासन लो.स्वा. एवं परि.क.वि. की अधिसूचना क्र. एफ-9-1-14-सत्रह-मेडि-3 दिनांक 14 मार्च 2014)

(3) मान्य चिकित्सा प्रणाली-

कोई भी शासकीय सेवक एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के बजाय आयुर्वेदिक, यूनानी, होमेयोपैथिक अथवा बायोकैमिक चिकित्सा प्रणालियों में से किसी एक प्रणाली में चिकित्सा करवा सकता है और इस चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति उसी रीति और उसी सीमा तक की जावेगी। जो नियमों में निर्धारित है।

ऐसी औषधियों के चिकित्सा देयक पर प्राधिकृत चिकित्सकीय परिचारक के हस्ताक्षर पर तथा परिशिष्ट के बाहर की औषधियों के मामलों में प्राचार्य/आयुर्वेद के संभागीय अधिकारी/ औषधालय के अधीक्षक के हस्ताक्षरीय स्वीकार किए जावेंगे।

ऐसे औषधालयों का प्रभारी वैद्य, हकीम या होमेयोपैथिक अथवा बायोकैमिक डॉक्टर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी होगा। (नियम 12)

(4) राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के राज्य के बाहर निजी चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने की अनुमति/ कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।

वर्तमान में राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार हेतु अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर गठित रेफरल कमेटी की अनुशंसा के उपरांत संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा उपचार कराने की स्वीकृति जारी की जाती है तथा संबंधित चिकित्सालय का एस्टीमेट प्राप्त होने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बीमारियों के लिये निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा/प्रस्तुत एस्टीमेट में, जो कम हो, का 80 प्रतिशत अग्रिम स्वीकृति की अनुशंसा संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की जाती है। उक्त कार्य हेतु अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय को अधिकृत किया जाता है। अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय ऐसे

Scanned by CamScanner

प्रकरणों का परीक्षण उनकी अध्यक्षता में पूर्व से गठित समिति के समक्ष करेंगे तथा रेफरल पत्र जारी करेंगे, जिसकी प्रति संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित विभाग तथा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को देंगे। साथ ही आवेदक द्वारा संबंधित चिकित्सालय का एस्टीमेट प्रस्तुत करने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बीमारियों के लिये निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा/ प्रस्तुत स्टीमेट में, जो कम हो, का 80 प्रतिशत अग्रिम स्वीकृति की अनुशंसा अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय जारी करेगा।

2. कार्यालय स्वीकृति संबंधी प्रकरण जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने पर उसके संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी/प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष के माध्यम से संचालक, चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त होने के पश्चात् प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निराकृत किये जाते हैं। ऐसे सभी कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु संभाग स्तर पर निम्नानुसार कार्योत्तर समिति का गठन किया जाता है :-

1.	संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय	सदस्य सचिव
3.	अधिष्ठाता द्वारा अधिकृत विभागाध्यक्ष	सदस्य
4.	संभागीय आयुक्त संचालक कोषो एवं लेखा	सदस्य
5.	संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित उपायुक्त	सदस्य
6.	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें	सदस्य

उच्च समिति निम्नानुसार कार्य करेगी :-

1. चंबल संभाग एवं ग्वालियर संभाग के प्रकरणों को ग्वालियर संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, उज्जैन संभाग एवं इंदौर संभाग के प्रकरणों को इन्दौर संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, नर्मदापुरम संभाग एवं भोपाल संभाग के प्रकरणों को भोपाल संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, शहडोल संभाग एवं रीवा संभाग के प्रकरणों को रीवा संभाग में गठित कार्योत्तर समिति द्वारा निराकरण किया जायेगा।

2. उक्त कार्योत्तर समिति में प्रकरण अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत रखे जावेंगे तथा कार्योत्तर समिति में लिये गये निर्णयानुसार इस विभाग द्वारा निर्धारित पैकेज की सीमा तक की राशि की अनुशंसा आदेश अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी किये जावेंगे।

3. शासन द्वारा निर्धारित पैकेज से अधिक शेष राशि के प्रकरणों के संबंध में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की अनुशंसा के साथ अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रस्ताव संचालक, चिकित्सा शिक्षा को अविलंब भेजेंगे।

4. राज्य स्तरीय कार्योत्तर समिति में उन प्रकरणों पर विचार किया जावेगा, जिनमें संभाग स्तरीय समिति को किसी प्रकार की कठिनाई हो या कोई मार्गदर्शिन अथवा अभिमत चाहा गया हो। यह सभी प्रकरण संचालक, चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रतिमाह प्रस्तुत किये जावेंगे।

Scanned by CamScanner

5. संभाग स्तरीय कार्योत्तर समिति की बैठक प्रत्येक माह की एक से दस तारीख के बीच अनिवार्यतः आयोजित की जावेगी तथा इस बैठत में अद्यतन सभी प्रकरणों पर विचार किया जायेगा। उक्त समिति की बैठक आवश्यकतानुसार एक माह में एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकेगी।

6. शासकीय कर्मचारियों के द्वारा राज्य के बाहर निजी संस्थाओं में कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति की बैठकों का कार्यवाही विवरण प्रतिमाह संभाग स्तरीय कार्योत्तर समिति के सदस्य सचिव अर्थात् अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय संचालक, चिकित्सा शिक्षा को भेजेंगे एवं अभिलेख/पंजी संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं अधिष्ठाता के कार्यालय में संधारित किए जायेंगे।

7. उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील रहेगा।

(म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग परिपत्र क्र. एफ- 4-231-2013/2/पचपन दिनांक 28 मई 2013)

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2013

आदेश

क्रमांक-एफ 9-9/13/17/मेडि.-3.- राज्य के शासकीय अस्पतालों एवं राज्य के अंदर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में शासकीय सेवक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को उपचार हेतु रैफर करने एवं उपचार की अनुमति देने के संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश/पत्र क्रमांक 4/एम.आर./2002/1826, दिनांक 04-09-2002 व पत्र क्रमांक 4/एम.आर./2009/1541, दिनांक 29-05-2009 को अधिक्रमित करते हुए व्यवस्था के सरलीकरण/विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से निम्न दिशानिर्देश प्रसारित किए जाते हैं:-

(क) शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु :-

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के नियम 4(1) में प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार का हकदार होगा। वर्तमान में राज्य में राज्य शासन द्वारा संचालित चिकित्सालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा भी चिकित्सालय यथा- एम्स, भोपाल व बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल संचालित हैं।

शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा राज्य में संचालित चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु रैफरल अथवा उपचार अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) राज्य के अन्दर शासन से मान्यता प्रापन्त निजी चिकित्सालय में उपचार कराने हेत रैफरल व्यवस्था एवं उपचार अनुमति :-

Scanned by CamScanner

1. राज्य के अंदर शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में उपचार कराने के लिए रैफरल एवं उपचार अनुमति जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दी जाएगी। इस बोर्ड में सिविल सर्जन एवं मेडिसिन तथा सर्जरी विषय के विशेषज्ञ/स्नातकोत्तर चिकित्सक सम्मिलित होंगे। यह बोर्ड आवश्यकतानुसार प्रकरण विषयक बीमारी से संबंधित विषय विशेषज्ञ/स्नातकोत्तर चिकित्सक को परामर्श हेतु आमंत्रित कर सकेगा। केवल उन्हीं जांच/उपचार की सुविधायें जो जिला चिकित्सालयों/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं हैं, के लिए बोर्ड द्वारा रैफरल किया जा सकेगा। रैफरल उपरांत उपचार अनुमति सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा जारी की जावेगी।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालयों में उपलब्ध जांच/उपचार की सुविधाओं की सूची उपलब्ध कराई जावेगी। उनके द्वारा यह सूची वेबसाइट पर भी अपलोड कराई जायेगी।
3. शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य के अंदर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय की अध्यक्षता में गठित रैफरल समिति द्वारा रेफर किये जाने की वर्तमान समानांतर व्यवस्था यथावत् रहेगी।

(ग) राज्य के अंदर शासकीय एवं शासन के मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु अग्रिम स्वीकृति हेतु वर्तमान व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण एवं सरलीकरण :-

1. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/जी-3/2/94/सी/चार, दिनांक 08-12-1994 द्वारा उपचार हेतु अनुमानित चिकित्सा व्यय का 80 प्रतिशत अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है।
2. वर्तमान में अग्रिम की अनुशंसा राज्य स्तर से संचालक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा संबंधित विभाग को की जाती है। अब इस व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण कर वित्त विभाग के उक्त ज्ञाप द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत चिकित्सा अग्रिम की अनुशंसा करने के लिए इस आदेश की कंडिका (ख-1) में गठित जिला मेडिकल बोर्ड को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है। बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा राज्य शासन के निर्धारित पैकेज अथवा निजी चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत एस्टीमेट, जो भी कम हो, की 80 प्रतिशत सीमा तक चिकित्सा अग्रिम की अनुशंसा संबंधित जिले के कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख को की जा सकेगी।

(घ) शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य के अंदर निजी चिकित्सा संस्थाओं में कराये गये उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की

Scanned by CamScanner

कार्योत्तर स्वीकृति :-

1. म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ-9-2/2006/17/मेडि-3, भोपाल दिनांक 20-02-2006 द्वारा उपचार शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य के अंदर निजी चिकित्सा संस्थाओं में कराये गये उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कार्योत्तर स्वीकृति के अधिकार संभाग स्तर पर दिये गये हैं। यह व्यवस्था यथावत् रहेगी।
उक्त व्यवस्था आदेश जारी करने की तिथि से प्रभावशील होगी।

(5) मान्य चिकित्सालय

राज्य के बाहर उपचार हेतु मान्यता प्राप्त शासकीय/निजी चिकित्सालयों की सूची

क्र.	चिकित्सालय का नाम	शहर का नाम	बीमारी का नाम	मान्यता अवधि
1.	ए.आई.आई.एम.एस. (ऐम्स)	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
2.	जी.बी.पन्त चिकित्सालय	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
3.	एल.एन.टी.पी. चिकित्सालय	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
4.	के.ई.एम. हॉस्पीटल	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
5.	जसलोक चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
6.	बी.वाय.एल. नायर चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
7.	टाटा मेमोरियल	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की	लगातार

Scanned by CamScanner

चिकित्सालय		जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	
8. नानावटी चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
9. पुण्डालिया कार्डियोथेरोसिक फाउण्डेशन	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
10. अपोलो हॉस्पीटल	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
11. शंकर नेत्रालय	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
12. निजाम इंस्टीट्यूट	हैदराबाद	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
13. यशोदा हॉस्पीटल	हैदराबाद	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
14. बी.एच.यू. (बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी)	वाराणसी	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
15. सी.एम.सी. (क्रिस्चयन मेडिकल कालेज)	वेल्लोर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
16. एस.जी.पी.जी.आई.	लखनऊ	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
17. साउथन रेल्वे चिकित्सालय	बरमपुर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
18. पी.जी.आई.	चण्डीगढ़	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय	

Scanned by CamScanner

		जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	
19. श्रीचित्रा इंस्टीट्यूट	त्रिवेन्द्रम	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
20. निम्हांस हॉस्पीटल	बैंगलोर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
21. अपोलो हास्पीटल	हैदराबाद	हृदयरोग, एंजियोग्राफी, एंजियो-प्लास्टी बीएमवी एवं कार्डियोथे-रोसिक सर्जरी, सीएबीजी, वाल्व रिप्लेसमेंट, कांगनीटल कार्डियक सर्जरी एण्ड वास्कुलर सर्जरीज	7.9.2017
22. मेदान्ता दे मेडिसिटी	गुड़गांव हरियाणा	हृदयरोग, एंजियोग्राफी, एंजियो-प्लास्टी एण्ड अदर कार्डियक एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जसी एण्ड मल्टीडिसीप्लीनरी क्रिटिकल केयर	7.6.2017
23. अरनेजा हार्ट इंस्टीट्युट	नागपुर	हृदयरोग, कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एण्ड अदर कार्डियोलाजी इन्टरवेंशन बीएमवी/पीपीआई) एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी एज वेल एज एसोसिएट क्रिटिकल केयर	27.11.2017
24. सेन्ट्रल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ हेमोटोलाजी एण्ड अंकोलाजी	नागपुर	हेमोटोलाजी एण्ड अंकोलाजी एवं समस्त कैंसर रोग की जाँच एवं उपचार	19.01.2018
25. बैंकर्स हार्ट इंस्टीटयूट	बड़ौदा गुजरात	हृदयरोग, कार्डियोथेरोसिक सर्जरी एण्ड मल्टी-डिसीप्लीनरी, क्रिटिकल केयर के उपचार हेतु	30.12.2016
26. कोलम्बिया कैंसर हास्पीटल एण्ड रिसर्च	नागपुर	कैंसर के उपचार एवं सम्बन्धितक्रिटिकल केयर	31.03.2016

Scanned by CamScanner

सेंटर		मैनेजमेंट के उपचार हेतु	
27. केयर हास्पीटल	नागपुर	कार्डियोलाजी एण्ड कार्डियोथे-रोसिक सर्जरी सर्विसेस लाईक आईसीसीयू इनपेशन्ट केयर, इनवेस्टीगेशन लाईक टीएमटी, कलर डाप्लर, होल्टर मानीटरिंग एण्ड कैथलेब के उपचार हेतु	08.09.2017
28. वेलकेयर हास्पीटल सेंटर फार नी एण्ड हिप सर्जरी	बड़ौदा गुजरात	टोटल नी एण्ड हिप रिप्लेसमेंट आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर	07.06.2017
29. क्रीसेंट हास्पीटल एण्ड हार्ट सेंटर	नागपुर	कार्डियोलाडी (एंजियोग्राफी/ एंजियोप्लास्टी) एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बीएमवी, पीपीआई इत्यादि एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विस एज वेल एज एसो-सिएट क्रिटिकल केयर एवं मल्टी डिसीप्लीनरी ट्रीटमेंट	18.08.2017
30. कोलम्बिया हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर	नागपुर	कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी/ एंजियोप्लास्टी) एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बीएमवी, पीपीआई इत्यादि एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विस एज वेल एज एसो-सिएट क्रिटिकल केयर एवं मल्टी डिसीप्लीनरी ट्रीटमेंट	31.03.2017
31. डॉ. उल्हास पाटिल मेडिकल कालेज हास्पीटल	जलगाँव महाराष्ट्र	कार्डियोलाजी सर्विसेस एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी एवं गायनोकालाजी	31.03.2016
32. श्योरटेक हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर	नागपुर	हृदयरोग (एंजियोग्राफी/एंजियो-प्लास्टी) एण्ड अदर कार्डियो-	25.02.2017

Scanned by CamScanner

		पीपीआई उपचार एण्ड कार्डियोथे-रोसिक सर्जरी मल्टी डिसीप्लीनरी क्रिटिकल केयर	
33. स्पन्दन हार्ट इंस्टीटयूट एण्ड रिसर्च सेंटर प्रा.लि.	नागपुर	कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी/ एंजियोप्लास्टी) एवं अन्य कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन जैसे बीएमवी, पीपीआई, कार्डि-योथेरोसिक सर्जरी तथा कार्डि-योलाजी से सम्बन्धित क्रिटिकल केयर उपचार	03.02.2017
34. कुणाल हास्पीटल	नागपुर	न्यूरोसर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं मल्टीडिसीप्लीनरी क्रिटिकल केयर	31.03.2017
35. चौधरी हास्पीटल फ्रेक्चर एक्सीडेंट आर्थोपेडिक नर्सिंग होम	नागपुर	आर्थोपेडिक, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, फ्रेक्चर एक्सीडेंट एण्ड स्पाईन सर्जरी एण्ड एसोसिएटेड इमरजेंसी	31.03.2018
36. श्रीकृष्ण हृदयालय एण्ड क्रिटिकल केयर सेंटर	नागपुर	कार्डियोलाडी (एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी एण्ड अदर कार्डि योलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बी.एम.वी. एवं पी.पी.आई.) एवं कार्डियोथेरोसिक सर्जरी	31.03.2017
37. व्होकार्ड हास्पीटल	नागपुर	हृदयरोग, हृदयसर्जरी, न्यूरो-सर्जरी, नेफ्रोलाजी एवं मल्टी-डिसीप्लीनरीक्रिटिकल केयर	31.03.2017

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश

[नोट- शासकीय सेवक एवं आश्रित सदस्यों के लिए जाँच तथा उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की नवीनतम सूची के लिए अमर लॉ पब्लिकेशन "चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम 1958 संदर्भित करें]

Scanned by CamScanner

(6) उपचार-

शासकीय चिकित्सालयों में उपचार के दौरान प्रत्येक शासकीय सेवक चिकित्सालय में उपलब्ध समस्त चिकित्सा तथा/या शल्य चिकित्सा सुविधाओं का उपभोग बिना मूल्य कर सकेगा, इसमें सम्मिलित हैं-

(1) रोग विज्ञान (पैथालाजिक), जीवाणु विज्ञान (बैक्टीरियालाजिकल), एक्सरे विज्ञान (रेडियोलाजी)

(2) ऐसी औषधियों, टीकों (वैक्सीनों) सीरा तथा अन्य चिकित्सा पदार्थों की पूर्ति जो सामान्यतया चिकित्सालय में उपलब्ध है।

(3) ऐसी परिचर्या जिसकी सामान्यतः व्यवस्था चिकित्सालय द्वारा अन्तर्वासी रोगियों (Indoor Patients) के लिए की जाती है।

(4) रुधिराधान (खून देना)।

(5) परानील लोहित प्रकाश (बिजली से सिकाई)

(6) महिलाओं के मामले में-

(क) प्रसूति को दौरान उपचार में गर्भपात, स्राव उपचार तथा

(ख) डूश देना शामिल है। नियम 2 (झ)

(7) चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय की सीमा-

प्रत्येक शासकीय कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या, उपचार तथा खुराक के संबंध में उसके द्वारा दिए गए व्यय की निम्नलिखित सीमा तक प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा-

(1) औषधियों की खरीद पर हुआ व्यय-सम्पूर्ण

(2) मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के लिए बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में केवल 6 माह की अवधि तक और उसके पश्चात् केवल उस स्थिति में जबकि रोगी का रोग जटिल हो जाए और उसे चिकित्सालय में भर्ती कर दिया गया हो, इन्सुलिन की खरीद पर हुआ व्यय-सम्पूर्ण।

(3) आक्सीजन देने में हुआ व्यय-सम्पूर्ण

(4) रक्त खरीद पर हुआ व्यय-सम्पूर्ण।

(5) महिला शासकीय कर्मचारी द्वारा अपनी प्रसूति के दौरान किया उपचार करवाने में किया गया व्यय-सम्पूर्ण।

(6) चिकित्सालय में कमरा किराए पर लेने पर हुआ व्यय-

(अ) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में ..... सम्पूर्ण व्यय

(ब) अन्य मामले में- पचास प्रतिशत।

(7) शल्य क्रिया तथा रोग संबंधी (पैथालाजिकल) परीक्षण जीवाणु संबंधी (बैक्टीरिया-लाजिकल) परीक्षण, क्ष-किरण संबंधी तथा अन्य परीक्षणों पर जो कि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा आवश्यक समझे जाएं और प्रमाणित किया जाए, पर किया गया

Scanned by CamScanner

निजी अस्पताल	[1]केन्द्र या राज्य शासन के अस्पताल में इलांज कराने पर प्रतिपूर्ति की सीमा
(1) ओपन हार्ट सर्जरी	रु. 2,50,000/-
(2) किडनी प्रत्यारोपण	रु. 4,00,000/-
(3) एन्जियोग्राफी	रु. 15000/-
(4) न्यूरो सर्जरी	रु. 3,00,000/-
(5) केन्सर रोग	रु. 4,00,000/-
(6) कांकलियर इम्प्लान्ट	रु. 5,20,000/-
(7) लीवर ट्रान्सप्लान्ट/हिप रिप्लेसमेन्ट	रु. 4,00,000/-

(8) विकलांग शासकीय सेवकों को केलिपर, कृत्रिम अंग, विकृत पैर के जूते, विकलांग पत्तियाँ, गर्दन की कालर आदि आवश्यक उपकरण शासन के व्यय पर दिये जायेंगे।

(नियम 7 (1), (2) एवं (3))

टीपः- उक्त रक्त परीक्षण में सी. टी. स्केन भी सम्मिलित है। इसका परीक्षण करने हेतु ग्वालियर कैंसर संस्थान तथा भोपाल मेडिकल सेंटर (यूनाइटेड ग्रुप भोपाल एवं जबलपुर स्थित केन्द्र का) मान्यता प्रदान की गई है। यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर तदर्थ रूप से एक वर्ष के लिए दी गई है-

(1) प्रतिपूर्ति श्रेणी एक के शासकीय सेवकों को 80% श्रेणी दो शासकीय सेवकों को 85% एवं श्रेणी तीन एवं चार के शासकीय सेवकों क 90% होगी। शेष राशि शासकीय सेवक को स्वयं वहन करना होगी।

(2) जिस शासकीय सेवक या परिवार के सदस्य को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत उपचार के लिए पात्रता है, उसे शासकीय सेवक की पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेंट को दिखाना होगा और कंसलटेंट द्वारा निदान की अत्यंत आवश्यकता के प्रमाण-पत्र की जाँच समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडिकल और सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष रहेंगे।

(14) सी. टी. स्केन की दरें निम्नानुसार होंगी-

(1) वीनस रिसर्च एण्ड स्केन सेन्टर भोपाल में म. प्र. शा. लो. स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग क्र. 9-7-2006 दि. 4-7-06 सी. टी. स्केन 825/- अदर बाडी पार्टस के लिये 1125/- से निर्धारित की है।

टीप- एक वर्ष की मान्यता की अवधि को बढ़ाकर अब आगामी तीन वर्षों के लिए और मान्यता म. प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2/17 मे.-4, दिनांक 19-3-91 द्वारा प्रदान की गई है। इसके साथ ही युनाइटेड ग्रुप के ग्वालियर तथा इन्दौर केन्द्र को भी इन्हीं शर्तों पर शासकीय सेवकों को सी. टी. स्केन के लिए तदर्थ रूप से उल्लिखित पूर्व शर्तो व दरों पर मान्यता प्राप्त की गई है।

Scanned by CamScanner

(8) चिकित्सा देयकों को भुगतान हेतु प्रस्तुत करने की अवधि-

(अ) चिकित्सा देयक .इस हेतु निर्धारित फार्म पर तैयार किया जाना चाहिए। फार्म दो में संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कराकर नियंत्रण अधिकारी को 6 माह के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए। जहाँ खरीदी गई दवाएँ पी. व्ही. एम. एस. सूची में सम्मिलित नहीं है, वहाँ प्रमाण पत्र संबंधित चिकित्सक के हस्ताक्षर के अलावा उपरोक्त कंडिका 7 में वर्णित प्रति हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर्स का प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

(ब) म.प्र. वित्तीय शक्तियों की पुस्तक भाग-1 के खंड II विन्दु 2.1 अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे जो 6 माह की समयावधि में प्रस्तुत होकर दिये गये हैं परन्तु एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये स्थगित रखा गया है के भुगतान की स्वीकृति के अधिकार अव कार्यालय प्रमुख और (कार्यालय प्रमुख के मामले में) नियंत्रण अधिकारी प्रदत्त कर दिये गए है (1.1.2013 से लागू)। किन्तु (1) शक्तियों का उपयोग आवश्यकता की स्थिति में केवल तभी किया जाना चाहिए जव स्थिइतयाँ कर्मचारी के नियंत्रण के वाहर रही हो। (ii) स्वीकृति आदेश में विलम्व के कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

खण्ड II के विन्दु 2.2 अनुसार कालातीत चिकित्सा दावे (6 माह के वाद प्रस्तुत) प्रस्तुत करने की स्वीकृति भी अव कार्यालय प्रमुख द्वारा दी जा सकती है। यह स्वीकृति अपवादात्मक और स्वीकृति आदेश में विलम्व के कारणओं का स्पष्ट उल्लेख करने की शर्त पर ही दी जा सकेगी।

(देखें वित्तीय शक्तियों की प्रत्यायोजन पुस्तक 2012 खण्ड II का 2.1 एवं 2.2)

(9) चिकित्सा देयकों की जाँच एवं अभिलेख का संधारण-

प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी को एक पंजी संधारित करना चाहिए जिसमें चिकित्सा का पूर्ण विवरण दर्ज रहे। प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक-एक पृष्ठ देना चाहिए, जिससे सुगमता से यह पता चल सके कि अमुक कर्मचारी ने वर्ष में कितनी राशि प्राप्त की है। पंजी में निम्न कालम रखे जाएँ-

(1) मरीज का नाम, उम्र तथा शासकीय कर्मचारियों से रिश्ता; (2) बीमारी की अवधि; (3) बीमारी का नाम; (4) राशि; (5) मेडिकल स्टोर का नाम, कैशमेमो क्र. एवं

(6) चिकित्सालय तथा चिकित्सक का नाम; (7) कार्यालय में देयक प्रस्तुत करने का दिनांक; (8) देयक स्वीकृति का दिनांक; (9) सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर।

(म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग क्र. 4851/1858/XVII/Med. दिनांक 8-10-1976)

(10) चिकित्सा देयक पर द्वितीय अभिमत के संबंध में

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्र. एफ 9-9-2013-सतरह

Scanned by CamScanner

मेडि-1, भोपाल दिनांक 05 दिसम्बर 2013 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में निम्नलिखित और संशोधन किये गये हैं। छायाप्रति संलग्न है। इसे विभाग वेबसाइट www.health.mp.gov.in सेडाउनलोड किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित संशोधन के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न- राजपत्र की छायाप्रति

(संचा.स्वा.से.क्र. 4/एम.आर./मान्यता/सेल-3/14/31 दिनांक 8 जनवरी 2014)

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर, 2013

क्र. एफ-9-9-2013-सत्रह-मेडि-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 में-

(1) उप नियम (1) के खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्-

"(1) प्राधिकृत परिचारक द्वारा विहित की गई औषधियों के क्रय में उपगत व्ययः

परन्तु-

(1) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो बाह्य रोगी के रूप में एक वर्ष में चार बार या लगातार तीन माह तक रुपये 1000/- (रुपये एक हजार केवल) प्रतिमाह से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल स्वयं के या उसके परिवार के किसी सदस्य के उपचार के संबंध में प्रस्तुत करता है, तो नियंत्रण प्राधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से द्वितीय अभिमत प्राप्त करेगा तथा अनुकूल सिफारिश प्राप्त होने पर ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करेगा। किसी भारतीय चिकित्सा पद्धति या होम्योपैथी पद्धति से उपचार के मामले में द्वितीय अभिमत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के बजाय यथास्थिति संभागीय अधिकारी, आयुर्वेद या भारसाधक जिला आयुर्वेद अधिकारी से लिया जाएगा।

Scanned by CamScanner

(2) यदि किसी एक वर्ष में किसी सरकारी कर्मचारी से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) से अधिक के बिल प्राप्त हों तो नियंत्रण प्राधिकारी उक्त सीमा से अधिक राशि के ऐसे समस्त बिलों की जांच एक चिकित्सा बोर्ड से कराएगा, जिसमें यथास्थिति संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ, संभागीय अधिकारी, आयुर्वेद या जिले के भारसाधक जिला आयुर्वेद अधिकारी सम्मिलित होंगे और ऐसे बिल नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा, बोर्ड की सिफारिश पर ही पास किए जाएंगे।

(3) यदि एक वर्ष में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की राशि रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार केवल) से अधिक हो तो उक्त सीमा से अधिक राशि के बिलों की जांच एक बोर्ड द्वारा की जाएगी जिसमें यथास्थिति संचालक, चिकित्सा सेवाएं, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, संचालक, भारतीय चिकित्सा-पद्धति एवं होम्योपैथी सम्मिलित होंगे और ऐसे बिल नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उक्त बोर्ड की सिफारिश के अनुसार ही पास किए जाएंगे।

उक्त उपबंध-

(क) अंतर्वासी (इनडोर) रोगियों; तथा

(ख) उन रोगियों से, जो ऐसे रोग से पीड़ित हों, जिसके बारे में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने विहित प्रोफार्मा में यह प्रमाण-पत्र जारी कर दिया हो कि उस रोग के लिये उपचार लंबे समय तक चलना अपेक्षित है या चलने की संभावना है, संबंधित प्रतिपूर्ति बिलों के मामले में लागू नहीं होगी।

टिप्पणी- ऐसा प्रमाण-पत्र एक समय में एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिये जारी नहीं किया जाएगा किन्तु उसका समय-समय पर ऐसी कालावधि के लिये जो आवश्यक हो, नवीनीकरण किया जा सकेगा जो एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला एक रजिस्टर, ऐसी रीति में, जैसी कि सरकार द्वारा विहित की जाए, रखेगा।

(2) विद्यमान प्ररूप दो के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात्-

Scanned by CamScanner

प्ररूप-दो

ऐसी औषधियां/जांचें जो चिकित्सालय में निःशुल्क उपलब्ध नहीं हैं

[नियम 8 (2) देखिए]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/ पुत्री श्री ..... जो कि ..... में नियोजित हैं दिनांक ..... से दिनांक .....तक अंतर्वासी/बाह्यरोगी के रूप में ..... चिकित्सालय में ..... (रोग का नाम) के लिये मेरे उपचार रहे/रहीं और इस संबंध में मेरे द्वारा निम्नलिखित औषधियां/जांचें विहित की गईं। ये औषधियां/जांचें, चिकित्सालय में निःशुल्क उपलब्ध नहीं हैं। ये औषधियां/जांचें उपरोक्त शासकीय कर्मचारी के उपचार के लिये नितान्त आवश्यक थीं।

अनुक्रमांक	औषधि का नाम	राशि
(1)	.....	.....
(2)	.....	.....
(3)	.....	.....

अनुक्रमांक	जांचों का नाम	राशि
(1)	.....	.....
(2)	.....	.....
(3)	.....	.....

- - - - -

विषय- म.प्र. भवन नई दिल्ली की स्थापना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार पर हुये व्यय के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों पर द्वितीय अभिमत दिये जाने विषयक।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक 133/म.प्र.भ./2014, दिनांक 15-01-2014.

उपरोक्त विषय संदर्भ में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि म.प्र. भवन नई दिल्ली में शासकीय चिकित्सक नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा देयक जिनमें लम्बी बीमारी के उपचार के चिकित्सा देयक भी सम्मिलित होते हैं संचालनालय को द्वितीय अभिमत हेतु भेजे जाते हैं तथा इन देयकों के निराकरण में अत्यधिक विलम्ब भी होता है।

उक्त असुविधा दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्र. 9-9-2013-सत्रह-मेडि-1, भोपाल दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में किये

Scanned by CamScanner

विशिष्ट प्रकरणों के डॉक्टर की सलाह पर मरीज को हवाई जहाज से ले जाया जा सकता है। इस व्यय के स्वीकृति के अधिकार प्रशासकीय विभाग को है। वि. वि. क्र. जी 3/2/94/ सी. आर. दि. 9-1-95।

नोटः- शासन ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों पर हस्ताक्षर करने हेतु चिकित्सा अधिकारियों के लिये 15 दिन की समय सीमा पत्र क्रमांक लो. स्वा. एवं प्र. क्र. एफ. 2-39-93/17 मेडि 4/दिनांक 6-10-94 द्वारा निर्धारित की है।

(12) पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधा-

राज्य शासन के निर्णय अनुसार सभी श्रेणियों के पेंशन भोगियों, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं, को उनकी पत्नी, अवयस्क बच्चों की राज्य शासन के चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सोपचार, नुस्खे में लिखी दवाइयों की पूर्ति, पेथालाजी जाँच, परीक्षण तथा गंभीर परिस्थितियों में विशिष्ट उपचार भी प्राप्त हो सकेगा।

(2) मेडिकल सिविल सर्विस अन्टेन्डेन्ट रूल्स, 1958 में दिए गए उपचार की परिभाषा में 'पेस मेकर' आदि उपचार की परिभाषा में नहीं आते। पेंशन भोगी कर्मचारियों को विशेष उपचार के अंदर पेस मेकर आवश्यक हो तो जिस चिकित्सालय में इलाज हो रहा है तथा उस विषय के विशेषज्ञ की अनुशंसा पर यह सुविधा संबंधित चिकित्सालय द्वारा ही दी जावेगी।

(3) पेंशन भोगी को निम्न सुविधा प्राप्त होगी-

(1) प्रायवेट वार्ड में भर्ती पर 50% चार्ज वसूल होगा।

(2) पेंशनर को इंट्रा आक्यूलर लेंस निःशुल्क लगाया जावेगा।

(3) चिकित्सा पर्चे पर चिकित्सालय द्वारा लिखी दवाएँ अस्पताल में उपलब्ध न होने पर दुकान से सीधी सप्लाय का आदेश दिया जा सकेगा।

(4) अस्पताल में भरती के समय लोकल परचेस आर्डर द्वारा दवाएँ उपलब्ध कराई जावेगी।

- - - - -

Scanned by CamScanner

Form of Application for Leave
अवकाश के लिए आवेदन - पत्र

F.R. FORM 1
(See S.R. 13 below 74)

Note -- Item 1 to 11 must filled in by all applicants whether Gazetted or Non Gazetted Item 12 may to be filled in only when it is applicable to Government - Servant concerned.

टिप्पणी - संख्या १ से ११ प्रत्येक प्रार्थी को भरना चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित मद संख्या १२ यदि सम्बन्धि हो तभी भरना चाहिए।

1. Name of Applicant.
प्रार्थी का नाम _____

2. Leave of Rules applicable.
लागू होने वाली छुट्टी नियमावली _____

3. Post held
आवेदक का पद _____

4. Department, Office and Section.
विभाग कार्यालय और अनुभाग _____

5. Pay
वेतन _____

6. House rent allowance conveyance allowance or other compensatory allowance drawn on the present post.
वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता या क्षति पूर्ति भत्ता _____

7. Nature and period of leave applied for and date from which required.
मांगी गई छुट्टी का प्रकार, अवधि और उसके शुरू होने की तारीख _____

8. Sunday and holiday if any proposed to be prefixed or Sufixed to leave.
रविवार और छुट्टी के दिन यदि कोई हो जिन्हें छुट्टी के पहले या बाद में जोड़ना चाहते हैं _____

9. Ground on which leave is applied for -
छुट्टी का कारण _____

10. Date of return from last leave and the nature and period of the leave.
पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी की किस्म तथा अवधि _____

11. Leave address if Granted.
यदि अवकाश स्वीकृत हुआ तो उक्त अवधि पता

Scanned by CamScanner

12. Proposed/do not propose to avil (myself of leave travel concession for the block year.....during the ensutationleav
मेरा विचार आगामी छुट्टी में.....के खण्ड वर्षो के छुट्टी यात्रा की रियायत लेने/नहीं लेने का है।

(Signature of Applicant)
(प्रार्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित)

12. Remarks and/or reconmmendation of the Controlling Officer.
नियंत्रक अधिकारी की टिप्पणी और/या सिफारिश

14. Orders of the Sanctioning authority.
स्वीकृति देने वाले अधिकारी के आदेश।

Signature (With date) & Designation
हस्ताक्षर (दिनांक सहित) एवं पद का नाम

Signature (With date) & Designation
हस्ताक्षर (दिनांक सहित) एवं पद का नाम

If the applicant is drawing any compensatory allowance the sanctioing authority. Should state whether on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying similar allowances.

★ यदि प्रार्थी को कोई क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता हो तो मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुट्टी पूरी होने पर प्रार्थी के उसी पद पर या किसी ऐसे पद लौटाने की आशा है या नहीं जहाँ इसी प्रकार का भत्ता मिलता हो।

Scanned by CamScanner

स्वास्थ्यता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र

"गजलाणी"

प्रार्थी के हस्ताक्षर ..... कम चिकित्सक के सदस्य

में ..... का ..... का पंजीयन

चिकित्सक प्रमाणिक करता हूँ कि मैंने ..... श्री .....

जिनके हस्ताक्षर ऊपर अंकित हैं। सावधानी से परीक्षा की हैं और यह पाया गया कि वे अपनी रुग्णता से मुक्त हो गये हैं। शासकीय सेवा में अपना काम पुन: सम्भालने के योग्य हैं। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि इस निर्णय को लेने के पूर्व मैं ने मूल चिकित्सा प्रमाण–पत्र और प्रकरण के विवरणों (अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जिन पर छुट्टी स्वीकृत या बढाई गई थी) जांच कर ली हैं। अपने निर्णय पर पहुँचने पर उन्हें दृष्टि'त रखा गया है।

स्थान .....

दिनाँक .....

परीक्षा पाने वाले चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर व पद नाम

चिकित्सा प्रमाण–पत्र

शासकीय कर्मचारी के हस्ताक्षर .....

में .....प्रकरण सावधानी से व्यक्तिगत परीक्षण करने के उपरांत

प्रमाणित करता हूँ कि श्री ....जिनके हस्ताक्षर ऊपर दिये गये हैं

.....रोग से पीड़ित हैं तथा मेरे विचार से उनके स्वास्थ्य लाभ के लिये

उनके कर्त्तव्य से उनको दिनाँक .....से दिनाँक .....तक समय के लिए

अनुपस्थिति पूर्णत: आवश्यक है।

दिनाँक .....

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
चिकित्सालय
पंजीकृत अधिकारी

Scanned by CamScanner

FORM No. 4

[see Rule 23 (3)]

MEDICAL CERTIFICATE RETURN TO DUTY

Signature of Govt. Servent...

I,..Civil/Surgeon/Staff Surgeon/Authorised Medical Attendence of.. Registered Medical practioner here by certify that I have careful examined shree............................ Whose Signature is given above and find that he/she has recovered from his/her illness and is now fit to resume duty in Govt. Service I also certify that before arriving at the decission, I have examined the original Medical documents of the case on which leave was granted or extended have taken those into consideration in arriving at my decision.

Date..............................

Civil Surgeon/ Staff Surgeon

Authorised Medical Attendent

Registered Medical Practioner

FORM No. 3

(See Rule)

Medical Certificate From Govt. Servent Recommened Leave Extension Or Leave For Communication of leave & Fitness

Signature of the Govt. Servent...

I,..After Careful Personal examination of the hereby certify that shri..Whose Signature is given above is Suffering From ....and consider that absence form duty for..............................with effect from..............................is absolutely necessary for the restoration of his/her health.

Date..............................

Authorised Medical attendant

..............................Hospital/Dispensary

or other registered medical practioner

Scanned by CamScanner